बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक : 10/11/26

संख्याः–1/सी.–1022/2025 –सा.प्र.– 20690 **/**श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से. (1997), प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को शीर्ष वेतनमान (स्तर–17–₹2,25,000/–नियत) में **दिनांक 01.01.2027 अथवा उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से** प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्याः–1/सी.–1022/2025 –सा.प्र.– 20691 **/**श्री पंकज कुमार, भा.प्र.से. (1997), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को शीर्ष वेतनमान (स्तर–17 –₹2,25,000/–नियत) में **दिनांक 01.01.2027 अथवा उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से** प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/11/26

(संजय कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः 1/सी.–1022/2025 –सा.प्र.– 20691 **/पटना–15, दिनांक** 10/11/26

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/

स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/ संबंधित पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

6/11/26

सरकार के विशेष सचिव ।